(क) क्या सरकार स्वतंत्रता सेनानियों की वृद्धावस्था और रेलगाड़ियों में यात्रा करने की असुविधा को देखते हुए उन्हें स्वतंत्रता सैनिक सम्मान स्कीम, 1980 के अंतर्गत हवाई यात्रा की सुविधा देने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में स्वतंत्रता सेनानियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(छ) इस पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री जितेन्द्र सिंह)

**(क) से (छ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।**

**-2-**

**दिनांक 29.08.2012 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 242 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में विवरण**

**(क) से (छ) : सम्मान पेंशन के अलावा, स्वतंत्रता सेनानियों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की गई हैं जिनमें स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी विधवाओं को एक साथी के साथ नि:शुल्क रेलवे पास (राजधानी में एसी-।। टायर, शताब्दी/जनशताब्दी ट्रेनों में चेयर कार और अन्य सभी ट्रेनों में प्रथम श्रेणी/।। एसी स्लीपर), सभी केन्द्र सरकार के अस्पतालों और लोक उद्यम ब्यूरो के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा संचालित अस्पतालों में नि:शुल्क चिकित्सा सुविधाएं, केन्द्र सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के तहत स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को सुविधाएं और स्थापना प्रभारों के बगैर एवं आधे किराए के भुगतान पर टेलीफोन कनेक्शन शामिल हैं। इन सुविधाओं के अतिरिक्त, जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने सेलुलर जेल, अण्डमान में पांच वर्ष की न्यूनतम अवधि के कारावास की यातना झेली है, वे और उनकी विधवाएं एक साथी के साथ वर्ष में एक बार अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह की हवाई यात्रा के लिए पात्र हैं। चालू वर्ष में स्वतंत्रता सेनानियों की ओर से उन्हें हवाई यात्रा की सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने जीवित स्वतंत्रता सेनानियों और उनके जीवन साथी को नि:शुल्क हवाई यात्रा सुविधाएं प्रदान करने हेतु न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग करने वाली जनहित वाद याचिका का निपटान करते समय अपने दिनांक 25.02.2011 के आदेश के तहत इस मामले पर विचार करने का निदेश दिया। जीवित स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी विधवाओं को नि:शुल्क हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान करने हेतु जनहित वाद याचिका में किए गए अनुरोध की जांच की गई है और इस पर सहमति नहीं बन पायी है।**